NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 02-12-2024

विषय सूची

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सूफीवाद

चक्रवात फेंगल (Cyclone Fengal)

जमानत पर विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन

हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare)

पृथ्वी का मरुस्थलीकरण आपातकाल

भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष और भारत की तैयारी

संक्षिप्त समाचार

सर्पदंश (snakebite) एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में

विश्व एड्स दिवस

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए पुनः चुना गया

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सूफीवाद

समाचार में

- अजमेर की एक अदालत में हिंदू सेना की एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है और पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की गई है।
    - दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, जो उपमहाद्वीप में सूफीवाद के प्रसार में एक प्रमुख व्यक्ति थे।
    - इस मंदिर का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं ने उनके सम्मान में करवाया था।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती

- **प्रारंभिक जीवन:** उनका जन्म 1141 ई. में फारस (आधुनिक ईरान) में हुआ था और 14 वर्ष की उम्र में वे अनाथ हो गए थे। एक फकीर इब्राहिम कंदोज़ी से मिलने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की।
    - मोइन-उद-दीन, मुहम्मद के वंशज माने जाते हैं।
- **आध्यात्मिक प्रशिक्षण:** हेरात के पास ख्वाजा उस्मान हारूनी द्वारा चिश्ती सूफी संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले मोइनुद्दीन ने बुखारा और समरकंद में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया।
- **अजमेर में आगमन:** 1192 ई. में, गौरी के मुहम्मद द्वारा अपनी पराजय के बाद चौहान राजवंश के पतन के दौरान, मोइनुद्दीन अजमेर पहुंचे।
    - उन्होंने रुकने और पीड़ित जनसँख्या की सहायता करने का निर्णय किया।
- **शीर्षक "गरीब नवाज़":** मोइनुद्दीन ने अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए "गरीब नवाज़" (गरीबों का मित्र) की उपाधि अर्जित की, जिसमें बेघर और जरूरतमंदों के लिए आश्रय और लंगरखाना (सामुदायिक रसोई) का निर्माण भी शामिल था।
- **योगदान और शिक्षाएँ:** मोइनुद्दीन ने हिंदू मनीषियों और संतों के साथ बातचीत की, भक्ति के सामान्य मूल्यों को साझा किया और धार्मिक रूढ़िवाद को खारिज करते हुए समानता एवं दिव्य प्रेम पर ध्यान केंद्रित किया।
    - सूफीवाद इस्लाम के एक भक्तिपूर्ण और तपस्वी रूप के रूप में उभरा, और 10 वीं शताब्दी में स्थापित चिश्ती आदेश, मोइनुद्दीन और उनके शिष्यों द्वारा प्रसारित किया गया था।
- **शिष्य:** कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया और चिराग देहलवी जैसे प्रमुख शिष्यों ने मोइनुद्दीन की शिक्षाओं को प्रसारित करने में सहायता की।
    - उनका प्रभाव सभी क्षेत्रों और संस्कृतियों तक फैला हुआ था।
- **मुगल संरक्षण:** सम्राट अकबर ने मोइनुद्दीन का सम्मान किया, उनके मंदिर की तीर्थयात्रा की और अजमेर को सुंदर बनाने में सहायता की, जिससे शहर के पुनरुद्धार में योगदान मिला।
- **विरासत:** मोइनुद्दीन की प्रेम, करुणा और समावेशिता की शिक्षाएं भारत के धार्मिक रूप से विविध परिदृश्य में गूंजती रहती हैं, जो समुदायों के बीच सांस्कृतिक अंतर को समाप्त करती हैं।

सूफीवाद के बारे में

- सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, उन्होंने औपचारिक अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया और प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण एवं मानवता के लिए करुणा पर बल दिया।

Sufism and *tasawwuf*

Sufism is an English word coined in the nineteenth century. The word used for Sufism in Islamic texts is *tasawwuf*. Historians have understood this term in several ways. According to some scholars, it is derived from *suf*, meaning wool, referring to the coarse woollen clothes worn by sufis. Others derive it from *safa*, meaning purity. It may also have been derived from *suffa*, the platform outside the Prophet's mosque, where a group of close followers assembled to learn about the faith.

- उन्होंने भगवान के साथ मिलन की खोज की, ठीक उसी तरह जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की खोज करता है, और प्रायः इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए कविताओं की रचना की।
- नाथपंथियों और योगियों की तरह सूफियों ने विश्व को अलग ढंग से देखने के लिए दिल को प्रशिक्षित करने के लिए एक गुरु के मार्गदर्शन में जप, चिंतन, नृत्य और सांस पर नियंत्रण जैसी विधियों का प्रयोग किया।
- 11वीं सदी से, मध्य एशिया से कई सूफी हिंदुस्तान में बस गए, विशेषकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद, जहां प्रमुख सूफी केंद्र फले-फूले।
    - उन्होंने पैगंबर मुहम्मद के उदाहरण का अनुसरण करते हुए ईश्वर के प्रति गहन भक्ति और प्रेम के माध्यम से मुक्ति पर बल दिया।
- ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ चिश्ती सिलसिला अत्यधिक प्रभावशाली हो गया।
- सूफी गुरुओं ने अपने खानकाहों (धर्मशालाओं) में सभाएँ आयोजित कीं, जहाँ राजपरिवार और सामान्य लोगों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों से भक्त आध्यात्मिक चर्चा, आशीर्वाद एवं संगीत के लिए एकत्र हुए।
- कई लोगों ने सूफी गुरुओं को चमत्कारी शक्तियों का श्रेय दिया और उनकी कब्रें (दरगाहें) प्रमुख तीर्थस्थल बन गईं, जहां सभी धर्मों के लोग आकर्षित हुए।

Source: IE

चक्रवात फेंगल (Cyclone Fengal)

सन्दर्भ

- चक्रवात फेंगल, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ने पुडुचेरी पर दस्तक दी।

परिचय

- भूस्खलन /लैंडफॉल एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जल के ऊपर होने के बाद जमीन पर आने की घटना है।
    - भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तब भूस्खलन माना जाता है जब तूफान का केंद्र - या उसकी आंख - तट पर चलती है।
    - भूस्खलन कुछ घंटों तक चल सकता है, उनकी सटीक अवधि हवाओं की गति और तूफान प्रणाली के आकार पर निर्भर करती है।
- भूस्खलन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रत्यक्ष प्रहार से भिन्न होता है।
    - 'प्रत्यक्ष प्रहार' उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां तेज़ हवाओं का केंद्र (या नेत्रगोलक) किनारे पर आ जाता है लेकिन तूफान का केंद्र अपतटीय रह सकता है।

चक्रवात क्या हैं?

- साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है सांप की कुंडली।
    - इसे हेनरी पेडिंगटन द्वारा गढ़ा गया था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित सांपों की तरह दिखाई देते हैं।
- चक्रवात शक्तिशाली, घूमने वाले तूफान हैं जो समुद्र के उष्ण जल के ऊपर बनते हैं, जिनके केंद्र में कम दबाव और तेज़ हवाएँ होती हैं।

Type of Disturbances	Wind Speed in Km/h	Wind Speed in Knots
Low Pressure	Less than 31	Less than 17
Depression	31-49	17-27
Deep Depression	49-61	27-33
Cyclonic Storm	61-88	33-47
Severe Cyclonic Storm	88-117	47-63
Super Cyclone	More than 221	More than 120

- **विश्वव्यापी शब्दावली:** विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवातों को कई नाम दिए जाते हैं:
  - इन्हें चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून के रूप में जाना जाता है; कैरेबियन सागर एवं अटलांटिक महासागर में पश्चिम भारतीय द्वीपों में तूफान; पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में बवंडर; उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विलीज़ और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात।

चक्रवात कैसे बनता है?

- **परिस्थितियाँ:** चक्रवात सामान्यतः उष्ण समुद्र के जल पर बनते हैं, गर्मी चक्रवात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उष्णता और आर्द्रता प्रदान करती है।
  - उष्ण जल के कारण समुद्र वाष्पित हो जाता है, जिससे उष्ण, आर्द्र वायु बनती है। यह आर्द्र वायु समुद्र की सतह से ऊपर उठती है, जिससे सतह पर वायु का दबाव कम हो जाता है।
- **निम्न-दबाव प्रणाली का निर्माण:** जब वायु समुद्र की सतह से ऊपर और दूर उठती है, तो यह नीचे कम वायुदाब का क्षेत्र बनाती है।
  - यह आसपास के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से हवा को कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर ले जाता है जिससे वायु उष्ण हो जाती है और ऊपर उठने लगती है।
- **चक्रवाती परिसंचरण:** पृथ्वी के घूमने (कोरिओलिस प्रभाव) के कारण ऊपर उठती वायु कम दबाव वाले केंद्र के चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। इस घूमने की गति से चक्रवाती परिसंचरण का विकास होता है।

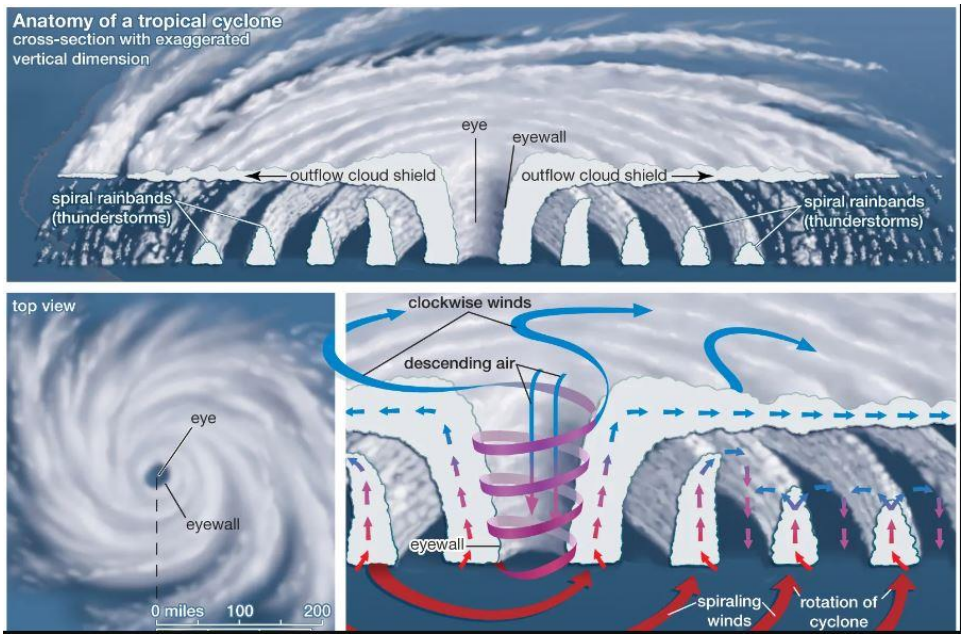

- जैसे-जैसे पवन प्रणाली बढ़ती गति से घूमती है, बीच में एक आँख बन जाती है।
    - चक्रवात का केंद्र बहुत शांत एवं स्पष्ट होता है और वायु का दबाव बहुत कम होता है। गर्म, बढ़ते एवं ठंडे वातावरण के बीच तापमान के अंतर के कारण हवा ऊपर उठती है तथा प्रसन्नचित्त हो जाती है।
- **अपव्यय:** जब चक्रवात ठंडे पानी के ऊपर से गुजरता है, शुष्क वायु का सामना करता है, या भूमि के साथ संपर्क करता है, तो अंततः कमजोर हो जाता है और नष्ट हो जाता है, जिससे सिस्टम में उष्ण, आर्द्र हवा की आपूर्ति बाधित हो जाती है।

नामपद्धति

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा नामों का रखरखाव और अद्यतन किया जाता है।
- उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों का नाम भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका में क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (RSMCs) द्वारा रखा जाता है।
    - प्रत्येक देश घूर्णन आधार पर उपयोग की जाने वाली सूची में नामों का योगदान देता है।
- चक्रवातों के नामकरण का प्राथमिक कारण संचार को आसान और अधिक कुशल बनाना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
- इसकी स्थापना 1875 में हुई थी.
- यह मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में मुख्य सरकारी एजेंसी है।
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है।

Source: TH

जमानत पर विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग

सन्दर्भ

- राष्ट्रपति द्रुपदी मुर्मू ने "भारत में जेलें: सुधार और भीड़ कम करने के लिए जेल मैनुअल और उपायों का मानचित्रण" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
    - इसने जेलों में भीड़भाड़ को संबोधित करने के लिए कई तरह के उपाय सुझाए, जिसमें "कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग" शीर्षक वाला एक खंड भी शामिल है।

परिचय

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत की जेलें 2022 में 131.4% अधिभोग दर के साथ अत्यधिक जनसंख्या से पीड़ित हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत में 75.8% कैदी विचाराधीन कैदी हैं।
- भारत में जेलों में भीड़ कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एक लागत प्रभावी तरीका सिद्ध हो सकती है।

विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के लाभ

- **भीड़भाड़ में कमी:** कम और मध्यम जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करने की अनुमति देकर, जेलें जगह खाली कर सकती हैं।
- **लागत-प्रभावी:** यह अतिरिक्त जेल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और कैदियों के आवास एवं भोजन की संबंधित लागत को कम करता है।

- **अधिकारों की सुरक्षा:** अपराध सिद्ध होने तक विचाराधीन कैदियों को निर्दोष माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग यह सुनिश्चित करती है कि निगरानी के दौरान उन्हें घर पर या कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में रहने की अनुमति देकर उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है।
- **बेहतर पुनर्वास:** इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के साथ रिहा किए गए विचाराधीन कैदी अपनी शिक्षा, कार्य जारी रख सकते हैं और पारिवारिक संबंध बनाए रख सकते हैं, जो उनके पुनर्वास एवं समाज में पुन: एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **कुशल निगरानी:** GPS ट्रैकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विचाराधीन कैदियों की निरंतर एवं वास्तविक समय की निगरानी करने, जमानत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उड़ान के जोखिम को कम करने की अनुमति देते हैं।

चुनौतियां

- **गोपनीयता के मुद्दे:** इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लगातार निगरानी व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।
- **तकनीकी चुनौतियाँ:** डिवाइस की खराबी, सिग्नल हानि और छेड़छाड़ जैसे मुद्दे सिस्टम की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं।
- **कलंक:** कलंक लगने की भी संभावना है जो दृश्यमान टखने या कंगन उपकरणों के साथ आता है।
    - कुछ व्यक्ति सामाजिक कलंक या आक्रामक निगरानी की धारणा के बारे में चिंताओं के कारण ट्रैकिंग डिवाइस पहनने का विरोध कर सकते हैं।

आगे की राह

- 268वीं विधि आयोग की रिपोर्ट संवैधानिक अधिकारों पर इस तरह के उपाय के गंभीर और महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करती है।
    - यह सुझाव देता है कि इस तरह की निगरानी का उपयोग केवल गंभीर एवं जघन्य अपराधों में किया जाना चाहिए, जहां आरोपी व्यक्ति को समान अपराधों में पूर्व सजा हो चुकी है और कहा गया है कि आपराधिक कानूनों में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, पर्याप्त संसाधन और कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम प्रभावी ढंग से एवं नैतिक रूप से लागू हो।

Source: IE

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन

सन्दर्भ

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों एवं पुलिसिंग रणनीतियों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 'पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन' में भाग लिया।

सम्मेलन की मुख्य बातें

- **राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा:** सम्मेलन में आतंकवाद विरोध, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आप्रवासन और नार्को-तस्करी सहित विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर गहन चर्चा शामिल थी।
    - इनका उद्देश्य प्रभावी जवाबी रणनीतियां विकसित करना और देश के समग्र सुरक्षा ढांचे को बढ़ाना था।

- **स्मार्ट पुलिसिंग पहल:** प्रधान मंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा का विस्तार किया है, और पुलिस बल को अधिक रणनीतिक, सावधानीपूर्वक, अनुकूलनीय, विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनने का आग्रह किया है।
    - उन्होंने 'विकसित भारत' की दृष्टि के साथ आधुनिकीकरण और पुनर्संरेखण की आवश्यकता पर बल दिया।
- **तकनीकी एकीकरण:** सम्मेलन ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीप फेक सहित AI द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला।
    - इसने पुलिस से इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 'एस्पिरेशनल इंडिया' में भारत की दोहरी क्षमता का उपयोग करने का आह्वान किया।
- **शहरी पुलिसिंग पहल:** प्रधान मंत्री ने शहरी पुलिसिंग में की गई पहलों की सराहना की और सुझाव दिया कि इन्हें देश भर के 100 शहरों में व्यापक रूप से लागू किया जाए।
    - उन्होंने कांस्टेबलों के कार्यभार को कम करने और पुलिस स्टेशनों को संसाधन आवंटन के लिए केंद्र बिंदु बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के महत्व पर बल दिया।
- **पुलिस हैकथॉन:** पीएम मोदी ने नवीन समाधानों के माध्यम से प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस हैकथॉन आयोजित करने का विचार प्रस्तावित किया।

भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता

- भारत में, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय के रूप में नामित किया गया है।
    - इसका तात्पर्य है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना एवं जांच करना तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
- सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह पुलिस बल की आवश्यकता को पहचाना गया है।

भारत में वर्तमान पुलिस व्यवस्था के साथ प्रमुख चिंताएँ/चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और संसाधन:** देश भर में कई पुलिस स्टेशन अल्प-सुसज्जित हैं, उनमें बुनियादी सुविधाओं और आधुनिक तकनीक का अभाव है।
    - यह पुलिस संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता में बाधा डालता है।
- **प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण:** साइबर अपराध, आतंकवाद और अन्य परिष्कृत आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ, पुलिस को इन चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षण से सुसज्जित होने की आवश्यकता है।
    - हालाँकि, वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायः पुराने और अपर्याप्त हैं।
- **तकनीकी चुनौतियाँ:** जबकि प्रौद्योगिकी अपराध का पता लगाने और रोकथाम में सहायता कर सकती है, पुलिस बल में प्रायः इन प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों का अभाव होता है।
    - विशेष रूप से साइबर सुरक्षा खतरों के लिए विशेष ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- **कानूनी और न्यायिक बाधाएँ:** पुराने कानून और लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ त्वरित और प्रभावी कानून प्रवर्तन को रोक सकती हैं।
    - पुलिस को अपने कर्तव्यों में सहयोग देने के लिए कानूनी व्यवस्था में सुधार आवश्यक है।

- **कर्मचारियों की कमी और अत्यधिक भार:** हाल की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में पुलिस-से-जनसंख्या अनुपात संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित मानक से काफी नीचे है।
  - इससे वर्तमान कर्मियों पर अत्यधिक भार पड़ता है, जिससे उनका प्रदर्शन और मनोबल प्रभावित होता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** यह पुलिस बल की स्वायत्तता को कमज़ोर करता है और प्रायः पक्षपातपूर्ण एवं अप्रभावी कानून प्रवर्तन की ओर ले जाता है।
  - इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस का दुरुपयोग भी हो सकता है।
- **भ्रष्टाचार:** यह पुलिस में जनता के विश्वास और मनोबल को समाप्त कर देता है, जिससे उनके लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाना मुश्किल हो जाता है।
  - बल के अंदर भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास जारी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
- **मानवाधिकार उल्लंघन:** पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, जिससे पुलिस बल की छवि खराब होती है और जनता में आक्रोश उत्पन्न होता है।
  - पुलिस और समुदाय के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जवाबदेही और मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

प्रमुख नीति अनुशंसाएँ

- **राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफ़ारिशें (1978-82):** इनमें पुलिस सुधारों के लिए महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गई हैं जिनमें पुलिस बल का अराजनीतिकरण, जवाबदेही में सुधार और पुलिस कर्मियों की कार्य स्थितियों में सुधार के उपाय शामिल हैं।
- **पद्मनाभैया समिति (2000):** इसने पुलिस बल के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित किया। इसने पुलिस बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने और भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने की सिफारिश की।
- **मलिमथ समिति (2002-03):** आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर इस समिति ने पुलिस और न्यायपालिका की दक्षता में सुधार के उपाय सुझाए।
  - इसमें बेहतर जांच तकनीकों और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **रिबेरो समिति (1998):** उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित, इसने पिछली सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और पुलिस सुधारों में तेजी लाने के तरीके सुझाए।
- **मूसाहारी समिति:** इसमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य समितियों की सिफारिशों की समीक्षा की गई, उनके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया और आगे सुधार का सुझाव दिया गया।

प्रकाश सिंह मामले पर भारत का उच्चतम न्यायालय (2006)

- **राज्य सुरक्षा आयोग (SSC):** व्यापक नीति दिशानिर्देश निर्धारित करने और राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए SSC की स्थापना करें।
- **निश्चित कार्यकाल और योग्यता-आधारित चयन:** पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के साथ, DGP और अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करें।
- **कार्यों को अलग करना:** दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए पुलिस के जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करना।
- **पुलिस स्थापना बोर्ड:** पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा-संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड स्थापित करें।

- **पुलिस शिकायत प्राधिकरण:** पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनाएं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग:** केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल के लिए पैनल तैयार करने के लिए संघ स्तर पर एक आयोग का गठन करें।

अन्य संबंधित कदम

- **आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार:** इसमें पुराने कानूनों को अद्यतन करना, जांच तकनीकों में सुधार करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है।
- **सामुदायिक पुलिसिंग:** पुलिस और जनता के बीच विश्वास कायम करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने की पहल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
    - यह कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय मुद्दों को सहयोगात्मक रूप से संबोधित करने में समुदाय को शामिल करने पर केंद्रित है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस कर्मी आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।
    - इसमें साइबर अपराध, मानव तस्करी और अन्य उभरते खतरों पर विशेष प्रशिक्षण शामिल है।

निष्कर्ष

- पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण एवं सुझाव साझा करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया।
- प्रधानमंत्री की भागीदारी और स्मार्ट पुलिसिंग, तकनीकी एकीकरण एवं नवीन समाधानों पर उनके बल ने भारतीय पुलिस बल की क्षमताओं तथा व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

Source: PIB

हाइब्रिड वारफेयर(Hybrid Warfare)

सन्दर्भ

- पश्चिमी ख़ुफ़िया एजेंसियाँ यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस पर हाइब्रिड वारफेयर में शामिल होने का आरोप लगा रही हैं।

हाइब्रिड वारफेयर क्या है?

- इसका तात्पर्य है जासूसी, तोड़फोड़ और साइबर हमलों को शामिल करने के लिए सैन्य अभियानों को व्यापक बनाना, साथ ही शत्रु को अंदर से कमजोर एवं अस्थिर करने के लिए चुनाव हस्तक्षेप, प्रचार या दुष्प्रचार अभियानों में शामिल होना।
- **उद्देश्य:** पूर्ण पैमाने पर पारंपरिक वारफेयर पर भरोसा किए बिना, भ्रम पैदा करना, दुश्मन के निर्णय लेने में बाधा डालना और कमजोरियों का लाभ उठाना।
- हाइब्रिड वारफेयर के उपयोग के उदाहरण:
    - संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने शीत वारफेयर के दौरान कई अन्य युक्तियों के अतिरिक्त गुप्त तोड़फोड़ अभियानों के माध्यम से हाइब्रिड वारफेयर का प्रयोग किया।

- हाइब्रिड वारफेयर के साथ रूस का जुड़ाव 2013 में तब मजबूत हुआ जब सैन्य प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि वारफेयर के नियम बदल गए हैं।
- चीन ने मनोवैज्ञानिक संचालन, मीडिया हेरफेर और कानूनी वारफेयर का जिक्र करते हुए सार्वजनिक रूप से "तीन वारफेयर" अवधारणा को भी अपनाया है।

हाइब्रिड वारफेयर क्यों बढ़ रहा है?

- **सीधे टकराव से बचने के लिए:** शीत युद्ध में, अमेरिका और सोवियत संघ हाइब्रिड वारफेयर में लगे हुए थे क्योंकि दोनों परमाणु शक्तियाँ सीधे टकराव से बचना चाहती थीं।
- **सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए:** सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस ने पाया कि उसकी सैन्य शक्ति कम हो गई है, जिसने पश्चिम के साथ सीधे सैन्य टकराव से बचने के लिए हाइब्रिड वारफेयर के आगे उपयोग को प्रोत्साहित किया।
- **सस्ता वारफेयर:** जैसे-जैसे परमाणु युग में पारंपरिक संघर्ष की लागत बढ़ती जा रही है, हाइब्रिड वारफेयर को प्रायोजित करना अधिक संभव है।
- **साइबर नेटवर्क में वृद्धि:** डिजिटल बुनियादी ढांचे और संचार प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता ने संघर्ष के नए रास्ते खोल दिए हैं।
  - साइबर हमले विरोधियों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने, संवेदनशील डेटा चुराने या जानकारी में हेरफेर करने की अनुमति देते हैं।
- **सोशल मीडिया का उदय:** सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के प्रसार ने दुष्प्रचार फैलाना, जनमत को प्रभावित करना एवं सरकारों को अस्थिर करना आसान बना दिया है।

हाइब्रिड वारफेयर की तैयारी विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है

- **विकसित हो रहा ख़तरा परिदृश्य:** जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, विरोधी तेजी से साइबर और सूचना वारफेयर रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। भारत को इन उभरते खतरों के अनुरूप ढलना होगा।
- **निवारण:** एक मजबूत हाइब्रिड वारफेयर रक्षा संभावित हमलावरों को उनकी रणनीतियों का प्रतिकार करने की क्षमता का प्रदर्शन करके रोक सकती है, जिससे संघर्ष की संभावना कम हो जाती है।
- **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा:** हाइब्रिड वारफेयर हमले प्रायः महत्वपूर्ण प्रणालियों, जैसे पावर ग्रिड और संचार नेटवर्क को निशाना बनाते हैं।
  - तैयारी संभावित व्यवधानों से लचीलापन और तेजी से रिकवरी सुनिश्चित करती है।

हाइब्रिड वारफेयर के लिए भारत की तैयारी

- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और थियेटराइजेशन:** 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का निर्माण एक बड़ा सुधार था जिसका उद्देश्य तीन सशस्त्र बलों- थल सेना, नौसेना और वायु सेना को एकीकृत करना था।
  - CDS को सैन्य रणनीतियों और अभियानों के एकीकरण और आधुनिकीकरण की देख-रेख का कार्य सौंपा गया है।
  - इससे समन्वय बढ़ेगा और बहु-डोमेन खतरों के प्रति भारत की सैन्य प्रतिक्रिया की दक्षता में सुधार होगा।
- **इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs):** भारत ने अपनी सैन्य संरचनाओं को IBGs में पुनर्गठित किया है, जो तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली इकाइयाँ हैं जो पारंपरिक और हाइब्रिड दोनों खतरों से निपटने में सक्षम हैं।
- **रक्षा साइबर एजेंसी:** भारतीय परिचालन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर खतरों को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए 2021 में रक्षा साइबर एजेंसी को संशोधित किया।

- **रक्षा में 'मेक इन इंडिया':** सरकार ने रक्षा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हुए 'मेक इन इंडिया' पहल को काफी बढ़ावा दिया है।
  - सुरक्षा चिंताओं का सामना करने के लिए यह आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है।
- **खुफिया एजेंसियां:** भारत की खुफिया एजेंसियां जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) हाइब्रिड खतरों की पहचान करने और उन्हें निष्प्रभावी करने के लिए खुफिया जानकारी एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना:** इसमें सख्त धन शोधन विरोधी कानून और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी जैसे मुद्दों के समाधान के लिए क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) ढांचे के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ कार्य करता है।
- **रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति 2024:** "हाइब्रिड वारफेयर" से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारी उन 17 विषयों में से एक है, जिन्हें रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष के लिए विचार-विमर्श के लिए सीमित कर दिया है।

आगे की राह

- आधुनिक युद्ध के मूल पहलुओं में परिवर्तन के साथ, संघर्ष प्रत्यक्ष, भौतिक बल के प्रयोग से कहीं अधिक हैं।
- हाइब्रिड युद्ध की तैयारी के लिए भारत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है:
  - उन्नत साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे में निवेश करें और विशेष कर्मियों को प्रशिक्षित करें।
  - साइबर प्रतिशोध और आक्रामक साइबर संचालन के लिए क्षमताएं विकसित करना।
  - बाहरी आख्यानों से बचाव के लिए रणनीतिक संचार और सार्वजनिक कूटनीति को बढ़ावा देना।
  - हाइब्रिड वारफेयर रणनीति में सैन्य और खुफिया कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करें।
  - खुफिया जानकारी साझा करने और मिश्रित खतरों का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग करें।

Source: IE

पृथ्वी का मरुस्थलीकरण आपातकाल

समाचार में

- UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP16) का 16वां सत्र 2-13 दिसंबर, 2024 को आयोजित होने जा रहा है, जो सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
- विषय है "हमारी भूमि और हमारा भविष्य।"

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) के बारे में

- 1994 में, 196 देशों और यूरोपीय संघ ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) पर हस्ताक्षर किए।
- कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) UNCCD का निर्णय लेने वाला निकाय है, जो भूमि चुनौतियों का समाधान करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, व्यवसायों एवं नागरिक समाज को एक साथ लाता है।

- UNCCD जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के साथ तीन "रियो कन्वेंशन" में से एक है, जो रियो डी जनेरियो में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से उपजा है।
- COP16 पश्चिम एशिया में होता है, जो मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि क्षरण से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है।

मरुस्थलीकरण के बारे में

- मरुस्थलीकरण एक प्रकार का भूमि क्षरण है जिसमें पहले से ही अपेक्षाकृत शुष्क भूमि क्षेत्र तेजी से शुष्क हो जाता है, जिससे उत्पादक मिट्टी ख़राब हो जाती है और पानी, जैव विविधता एवं वनस्पति आवरण नष्ट हो जाता है।

कारण

- प्रत्येक वर्ष, 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ भूमि सूखे और मरुस्थलीकरण के कारण नष्ट हो जाती है, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन एवं खराब भूमि प्रबंधन के कारण होता है।
- मरुस्थलीकरण मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक खेती एवं वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होता है।
- सूखे और बाढ़ सहित चरम मौसम की घटनाओं से भूमि क्षरण की स्थिति अधिक खराब हो जाती है।
  - कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 23%, वनों की कटाई में 80% और मीठे पानी के उपयोग में 70% योगदान देती है।

प्रभाव

- स्वस्थ भूमि जीवन, भोजन, आश्रय, रोजगार प्रदान करने, जलवायु को विनियमित करने और जैव विविधता का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - विश्व की 40% भूमि निम्नीकृत हो चुकी है, जिससे 3.2 अरब लोग प्रभावित हैं।
- मरुस्थलीकरण और सूखे की स्थिति बहुत खराब हो रही है, जो अनिवार्य प्रवासन में योगदान दे रही है। 2050 तक, 216 मिलियन लोग जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हो जाएंगे, 2000 के बाद से सूखे में 29% की वृद्धि होगी।
  - मरुस्थलीकरण से 3.2 अरब लोग प्रभावित होते हैं और 11 ट्रिलियन डॉलर का हानि होता है। 2030 तक 1.5 अरब हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- **कृषि पर प्रभाव:** कम वर्षा और भूमि प्रबंधन के कारण भूजल की कमी किसानों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करती है, जिससे खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका को खतरा होता है।
- भूमि क्षरण जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल अखंडता और मीठे पानी प्रणालियों सहित कई अन्य ग्रहों की सीमाओं को प्रभावित करता है, जिससे पर्यावरणीय दबाव बिगड़ता है।
- भूमि क्षरण मानव जीवन को बनाए रखने की पृथ्वी की क्षमता को कमजोर करता है, और इसे उलटने में विफल रहने से भावी पीढ़ियों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी।
- वनों की कटाई और निम्नीकृत मिट्टी भूख, प्रवासन और संघर्ष को बढ़ावा देती है।

भारत के कदम

- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2023 का लक्ष्य UNCCD के तहत देश की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, 2030 तक भारत में 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है।

- यह स्थायी भूमि प्रबंधन रणनीतियों को साझा करने और 2030 तक बढ़े हुए वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए उपचारात्मक एवं निवारक मॉडल की रूपरेखा तैयार करता है।

समाधान

- स्थायी प्रथाओं को लागू करके भूमि को पुनर्स्थापित करना संभव है। UNCCD का लक्ष्य बुर्किना फासो और फिलीपींस जैसे स्थानों में चल रहे प्रयासों के साथ, 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को पुनर्स्थापित करना है।
- UNCCD भूमि के क्षरण को अधिक रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि ऐसा करने में विफलता भविष्य की पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक परिणाम देगी।
- **रियाद में COP16 लक्ष्य:**
- 2030 तक भूमि पुनर्स्थापन में तीव्रता लाएं
- सूखे, रेत और धूल भरी आंधियों के प्रति लचीलापन बनाएं
- मिट्टी के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करें और प्रकृति-सकारात्मक खाद्य उत्पादन में वृद्धि करें
- भूमि अधिकार सुरक्षित करें और भूमि प्रबंधन में समानता को बढ़ावा दें
- सुनिश्चित करें कि भूमि जलवायु और जैव विविधता समाधान प्रदान करती रहे
- युवाओं के लिए भूमि-आधारित रोजगारों सहित आर्थिक अवसरों को अनलॉक करें।

Source :DTE

भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष और भारत की तैयारी

सन्दर्भ

- आपदा के चालीस वर्ष बाद, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) कारखाने से निकलने वाला महत्वपूर्ण जहरीला कचरा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।
    - रिसाव ने भोपाल में मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर दिया, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति हुई तथा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा।

प्रचलित मुद्दे

- 1984 में विनाशकारी भोपाल गैस त्रासदी के बावजूद, भारत के रासायनिक उद्योग का काफी विस्तार हुआ है और यह विश्व का छठा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है।
- यहां तक कि कोविड-19 महामारी (2020-2023) के दौरान भी, भारत में 29 बड़ी रासायनिक दुर्घटनाएं देखी गईं, जिनमें चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव (2024), विजाग गैस रिसाव (2020) आदि प्रमुख हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए।
- भोपाल आपदा के लिए ज़िम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) अभी भी भारत में उपयोग में है।
    - मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) एक अत्यधिक विषैला और प्रतिक्रियाशील रसायन है, यहां तक कि थोड़े समय के लिए भी इसके संपर्क में आने से गंभीर श्वसन संकट,

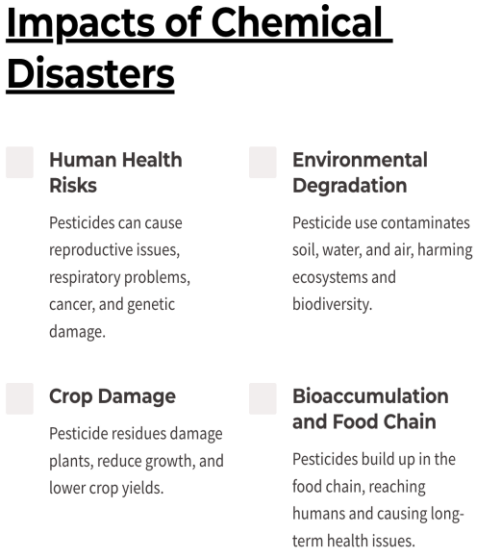

आंखों और त्वचा को हानि और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं।
    - इस बीच, विभिन्न खतरनाक कृषि रसायन अनियमित रहते हैं, जैसे सिंथेटिक कीटनाशक डाइक्लोरोडिफेनिलट्राइक्लोरोइथेन (DDT), जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है।
- भारत के वर्तमान नियम खंडित हैं और उनमें अमेरिकी विषाक्त पदार्थ नियंत्रण अधिनियम (TSCA) या EU के रीच विनियमन जैसे कानूनों की व्यापकता का अभाव है।

इन आपदाओं के कारण

- **आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना:** तेजी से औद्योगिक विस्तार पर ध्यान देने से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ कम हो सकती हैं।
- **कमजोर नियामक निरीक्षण:** संसाधनों, विशेषज्ञता और राजनीति की कमी सुरक्षा मानकों के अपर्याप्त कार्यान्वयन में योगदान देगी।
- **उद्योग लॉबिंग:** शक्तिशाली उद्योग लॉबी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सख्त नियमों में बाधा आ सकती है।
- **सार्वजनिक जागरूकता की कमी:** खतरनाक रसायनों के खतरों के बारे में सीमित सार्वजनिक जागरूकता से उद्योगों और सरकार पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दबाव कम हो सकता है।

भविष्य की आपदाओं को रोकने की पहल

- **विनियमों को मजबूत करना:** भारत ने खतरनाक उद्योगों को विनियमित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884, रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम 1996 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 जैसे कानून बनाए हैं।
- **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT):** यह निकाय औद्योगिक दुर्घटनाओं सहित पर्यावरणीय उल्लंघनों को संबोधित करता है, और प्रभावित समुदायों को निवारण के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) दिशानिर्देश:** ये दिशानिर्देश निरीक्षण प्रणालियों, आपातकालीन तैयारियों और सामुदायिक जागरूकता के महत्व पर बल देते हैं।

आगे की राह

- **व्यापक रासायनिक नीति:** भारत को तत्काल मजबूत नियमों वाली एक व्यापक रासायनिक नीति की आवश्यकता है।
- **कॉर्पोरेट जिम्मेदारी:** औद्योगिक संचालन में सख्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
- **न्याय और पुनर्वास:** पीड़ितों और प्रभावित समुदायों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल और मुआवजा।
- **पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय:** स्थायी पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए जहरीले अपशिष्ट का उचित निपटान।

Source: DTE

संक्षिप्त समाचार

सर्पदंश(snakebite) एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में

समाचार में

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सर्पदंश को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है।

अधिसूचित रोग (Notifiable diseases) के बारे में

- अधिसूचित बीमारियाँ वे हैं जिनके बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। यह निगरानी, प्रकोप का पता लगाने और समय पर हस्तक्षेप की अनुमति देता है। भारत में अन्य उल्लेखनीय बीमारियों में शामिल हैं: एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, हैजा आदि
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) के अनुसार देशों को कुछ बीमारी के प्रकोप और सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं की रिपोर्ट WHO को देनी होती है।

सर्पदंश के जहर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSE)

- 2030 तक सर्पदंश से संबंधित मृत्युओं और विकलांगताओं को आधा करने का लक्ष्य है और सर्पदंश को एक उल्लेखनीय बीमारी बनाना इस संबंध में एक अच्छा कदम है।

Source: TH

विश्व एड्स दिवस

समाचार में

- विश्व एड्स दिवस 2024 HIV/AIDS के विरुद्ध चल रही लड़ाई, प्रगति, चुनौतियों और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

विश्व एड्स दिवस के बारे में,

- यह 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
- यह HIV/AIDS के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महामारी के विरुद्ध एकजुटता दिखाने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम है।
- यह चल रही चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ रोकथाम, उपचार और देखभाल में प्रगति पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है।
- यह HIV/AIDS से निपटने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य के अधिकार को प्राप्त करने के बीच संबंध पर बल देता है।

HIV (ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) के बारे में

- यह श्वेत रक्त कोशिकाओं को लक्षित करके प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण करता है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।
- एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) HIV संक्रमण का सबसे उन्नत चरण है।
- HIV शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त, स्तन के दूध, वीर्य और योनि के तरल पदार्थ के माध्यम से फैलता है, लेकिन चुंबन या आलिंगन जैसे आकस्मिक संपर्क के माध्यम से नहीं। यह मां से बच्चे में भी पारित हो सकता है।

- HIV को एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) से रोका और प्रबंधित किया जा सकता है।

भारत के कदम

- एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, भारत ने HIV/AIDS से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, 2.5 मिलियन से अधिक लोग HIV से पीड़ित हैं, लेकिन 2010 के बाद से नए संक्रमणों में 44% की कमी आई है।
- देश के प्रयासों को 1992 में शुरू किए गए राष्ट्रीय AIDS और STD नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) से सहायता मिली है, जो रोकथाम, उपचार और देखभाल से निपटने के लिए वर्षों से विकसित हुआ है।
  - NACP चरण-V (2021-2026) 2025-26 तक नए संक्रमणों और AIDS से संबंधित मृत्युओं को 80% तक कम करने पर केंद्रित है।
- भारत के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और HIV और AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 जैसे कानूनी सुधारों के साथ-साथ मिशन संपर्क और 'परीक्षण और उपचार' नीति जैसी पहलों ने HIV/AIDS प्रतिक्रिया की सफलता में योगदान दिया है।

Source: TH

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए पुनः चुना गया

समाचार में

- भारत ने वैश्विक शांति पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए 2025-2026 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग (PBC) के लिए अपना पुन: चुनाव सुरक्षित कर लिया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के बारे में

- 2005 में स्थापित, UNPBC एक अंतरसरकारी सलाहकार निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है।
- यह संघर्ष के बाद की बहाली और शांति निर्माण के लिए व्यापक रणनीति विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, क्षेत्रीय संगठनों और नागरिक समाज सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान

- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसके हजारों भारतीय शांति सैनिक विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में तैनात हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा बजट में भारत एक महत्वपूर्ण वित्तीय योगदानकर्ता है।
- भारत, विशेष रूप से अपने क्षेत्रीय पड़ोस में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से राजनयिक प्रयासों में संलग्न है।

Source: AIR

सीमा सुरक्षा बल(BSF)

सन्दर्भ

- सीमा सुरक्षा बल (BSF), जिसे प्रायः भारत की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है।

परिचय

- **स्थापना:** 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर 1 दिसंबर, 1965 को।

- **प्रशासनिक नियंत्रण:** गृह मंत्रालय (MHA)।
- **तैनाती:** भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना के साथ और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात।
- **अधिकारी:** हालाँकि, BSF के पास अधिकारियों का अपना कैडर है, लेकिन इसके प्रमुख को महानिदेशक (DG) के रूप में नामित किया गया है, इसकी स्थापना के बाद से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का एक अधिकारी रहा है।
- **लोगो और आदर्श वाक्य:** BSF के लोगो में अनाज की दो कीलें हैं, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और BSF टाइपफेस को दर्शाती हैं। BSF का आदर्श वाक्य "मृत्यु तक कर्तव्य" सबसे नीचे रखा गया है।

क्या आप जानते हैं?

- BSF के पास पुलिस शक्तियां नहीं हैं; किसी संदिग्ध को पकड़ने के बाद यह केवल "प्रारंभिक पूछताछ" कर सकता है और जब्त की गई खेप या संदिग्ध को 24 घंटे के अंदर स्थानीय पुलिस को सौंपना होता है।
- इसके पास आपराधिक संदिग्धों पर मुकदमा चलाने की शक्तियाँ नहीं हैं।

Source: PIB